भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड,
कोटा – 324005, राजस्थान

सत्यमेव जयते

Government of India
Central Bureau of Narcotics
O/o The Dy. Narcotics Commissioner
Mahaveer Nagar-I, Jhalawar Road,
Kota-324005,Rajasthan

STD : 0744, PBX : 2438928, DNC : 2438929; ANC: 2438927
E-mail: ; dnc-kota@cbn.nic.in Website : www.cbn.nic.in

F.No.I(22)-14/Adm/2024-

Dated:- 04 .03.2024

निविदा

इस कार्यालय के अधीनस्थ राजस्थान इकाई के जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे छबड़ा, झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोलीश्याम, चित्तौड़गढ–I/II छोटीसादड़ी, रामगंजमंडी एवं प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ अफीम गोदाम इत्यादि पर माह अप्रैल, 2024 के प्रथम सप्ताह से अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जनसाधारण को दर्शाने के लिए सर्वर नेटवर्क रिर्कोडिंग एवं मुख्यालयों पर सीधे प्रसारण हेतु कैमरों को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रों पर लगाए जाने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती है प्रत्येक तौल केन्द्र पर लगभग 08 –10 कैमरे लगाए जाएगे, जिनकी संख्या तौल केन्द्र की सुविधा अनुसार घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। कैमरों एवं सर्वर का विवरण निम्न लिखित विशिष्टी से कम नही होना चाहिए।

क.सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Camera	I. Picture HD quality (5 Mega Pixel), in built audio with POE support, VGA Lences, Minimum Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60Hz:30fps (640x480) Shutter time 1/25S – 1/100,000s, with audio outpur, Wi Fi enable OR II. Any other latest or better version.
2	NVR Server	16 Video & audio input network enable, Wi Fi, Storage capacity for atleast 1 month
	The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory.	

नियम व शर्ते

1. उपरोक्त कैमरों को विभिन्न तौल केन्द्रों पर तौल कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार स्थापित करना होगा। सीमित निविदादाता को कैमरों, सर्वर बाक्स एवं कैमरो को स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होगें। किसी प्रकार का कोई भी उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नही होगा, न ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा।
2. कैमरों को लगातार 24 घंटे चालु रखने एवं निर्देशानुसार रिर्काडिंग करने हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हे इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, सीमित निविदादाता द्वारा लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होगें। समस्त कैमरों को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance), नियमित चलाने, रिर्काडिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
3. निविदा प्रति कैमरा प्रति दिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुए मय सहायक/ऑपरेटर सहित देनी होगी, जिस पर **"अफीम तौल कार्य हेतु कैमरों की निविदा'** अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (taxes) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
4. सभी केन्द्रों पर लगाए गए कैमरों द्वारा सीधा प्रसारण मुख्यालयों जैसे कोटा एवं ग्वालियर आदि पर एच डी क्वालिटी होना आवश्यक है तथा सीधे प्रसारण की रिर्काडिंग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होगी।

5. निविदादाताओं को प्रति निविदा धरोहर राशि रू. 50000/– (पचास हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न कराना होगा।
6. दैनिक रिर्काडिंग की ऑडियो एवं विडियो सी.डी./डी.वी.डी. विभाग द्वारा निविदादाता को उपलब्ध कराई जाएगी। दैनिक रिर्काडिंग की डी.वी.डी. जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार तैयार कर देनी होगी।
7. स्वीकृत निविदा वाली फर्म को इस विभाग के बन्दोबस्त केन्द्रों पर भी उसी दर एवं शर्तों पर केमरे लगााने का कार्य करना होगा। जो माह सितम्बर अथवा अक्टुबर में शुरू होगा।
8. यदि कोई भी कैमरा खराब/बन्द होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
9. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशी भी जप्त की जा सकती है।
10. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
11. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।
12. जी.एस.टी रजिस्टर्ड फर्म का ही कोटेशन मान्य होगा, कोटेशन मे दर जी.एस.टी. सहित दर्शायें।
13. निविदादाता अपनी निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा मे दिनांक 11.03.2024 तक शाम 02 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे तत्पश्चात प्राप्त निविदा को दिनांक 11.03.2024 को शाम 03 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में इस आशय हेतु बनाई गई कमैटी के समक्ष खोला जायेगा।

(जे.एस. राजपुरोहित)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़–I/II/III, भीलवाड़ा प्रतापगढ I/II. को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आप अपने इलाके मे प्रचलित/पतिष्ठित फर्म को सुचित करें।

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा